अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हरिनारायण V/s मोहन वगै.

2022/58 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री रविन्द्र अरोड़ा श्री R-1 मृत्यु। R-2 ... स्पेशल

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

हरिनारायण बनाम मोहन वगैरह (58/2023)

28/6/23 पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश अपील रिजर्व रखी जाती है।

4/7/23 वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 28.06.2023 को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पूर्व में सहमति के आधार पर हुए विभाजन के अनुसरण में शामलाती कुएँ व रास्तो का उपयोग हेतु सहखातेदारी में रखी गई है जिसका विभाजन किसी भी रूप से संभावित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 जा.दी. के प्रावधानो समवर्ती प्रावधान है जिसके तहत् एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त जहाँ अप्रार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 4 जा.दी. के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय पूर्व आदेश को साक्ष्यों के अवलोकनार्थ परिवर्तित कर सकता है अथवा एक पक्षीय स्थगन निरस्त कर सकता है, चूँकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व बाबत् विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एकमात्र गैर मुमकिन चाह एवं रास्ते की आराजीयात बाबत् प्रस्तुत किया गया है जो विचारण न्यायालय में विचाराधीन है एवं वादग्रस्त आराजीयात को पूर्व में पक्षकारान के मध्य हुए विभाजन के उपरान्त एकमात्र शामलाती सह–खातेदारी में कुएँ व रास्ते के उपयोग हेतु रखा गया है जिसका विभाजन संभावित नहीं है। उपरोक्त आराजीयात को सम्मिलित करते हुए वाद पोषणीय नहीं है, जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसे निरस्त किए हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को आक्षेपित आदेश से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर स्वयं वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1की खातेदारी में दर्ज खाता संख्या 293 की आराजीयात की हद तक प्रभावहीन किए जाने के आदेश पारित किये जाकर शेष जारी स्थगन आदेश खाता संख्या 158 व खाता संख्या 159 पर पूर्ववर्त जारी रखने के आदेश पारित किए जाने त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 02/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें उक्त आराजीयात बाबत् राजस्व अभिलेख से स्थगन समाप्त किये जाने बाबत् स्वीकृति चाही गई है को निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए निरस्त किये जाने में त्रुटि की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2022 निरसत फरमाया जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार कर एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 01.07.20221 को राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत् हटाए जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ

58/2022/अपील(जी) हरिनारायण व/स मोहन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
2022/58	R-1 मनु
पेशी	श्री रविन्द्र अरोड़ा श्री SP ओझा-2 GA

की आराजीयात वाकै ग्राम गुढ़ा बेरसल तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण ने पारस्परिक सहमति से दिनांक 13.12.2010 को तहसीलदार के यहाँ विभाजन कर लिया था जिसका मुताबिक विभाजन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है. जिसके अनुसार खाता संख्या 293 की आराजीयात खसरा नम्बर 112, 108, 2318/99, 2320/106, 2322/110 कुल किता 5 कुल रकबा 4.0600 है0 वादी के हिस्से में विभाजन अनुसार दी गयी है जिसका उसने दिनांक 22.06.2021 को सीमाज्ञान करा लिया है और समस्त हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से की आराजी में शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2021 एवं 16.07.2022 विधि सम्मत है तथा उक्त अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो चलने योग्य नहीं हैं। वर्तमान अपीलांट हरिनारायण द्वारा खाता संख्या 158 की आराजीयात खसरा नम्बर 2321/108, 2323/110, 2325/113, एवं खसरा नम्बर 110, 2324/113 का अपने हिस्से का बेचान दिनांक 09.06.2021 को नागगराम व छोटी को बैचान कर दिया है। प्रकरण में नागनराम व छोटी को पक्षकार संयोजित करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 16.02.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व पूर्व विवादित आराजीयात भूमि में हरिनारायण के अपने हिस्से का बेंचान दिनांक 09.06.2021 को नागनराम व छोटी को बैंचान किया जा चुका है जिसकी जानकारी अपीलांट को होने के बावजूद अपील में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया हैं इस प्रकार अपील में क्रेतागण को पक्षकारान संयोजित नहीं किये जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 46/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2022 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible]